भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2325
गुरुवार, 13 मार्च, 2025 (22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरोस्पेस विनिर्माण में कौशल विकास और कार्यबल प्रशिक्षण

2325. डॉ. के. सुधाकर:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री बसवराज बोम्मई:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) सरकार द्वारा घरेलू विमान घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ख) एयरोस्पेस विनिर्माण में कौशल विकास और कार्यबल प्रशिक्षण और बेहतर बनाने के लिए क्या पहल की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विमान घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एमएसएमई को क्या सहायता प्रदान की जाएगी?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) सरकार, भारत में सार्वजनिक और निजी उद्यमों द्वारा विमान पुर्जों, इंजनों और संबंधित उपस्कर के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। इस संबंध में उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत व्यापक राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी) को वर्ष 2016 में, अन्य बातों के साथ-साथ कमर्शियल एयरो-मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।

ii. वर्ष 2024 में घरेलू विमान मरम्मत, पुर्जा विनिर्माण और एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रमुख प्रोत्साहन के तौर पर 5% आईजीएसटी की एकसमान दर लागू की है जो विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, विमान पुर्जों, उपस्कर, परीक्षण उपकरणों, टूल और टूल-किट, चाहे उनके नामकरण वर्गीकरण की सामजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोई भी हो, के आयात पर लागू होगी। इससे घरेलू विमान क्षेत्र उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।

(ख) एयरोस्पेस विनिर्माण में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए, प्रतिवर्ष लगभग 3700 एएमई को आधारभूत रखरखाव प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डीजीसीए द्वारा नागर विमानन अपेक्षाएं-147 (बेसिक) के तहत वर्तमान में 57 विमान रखरखाव इंजीनियरिंग (एएमई) प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय नागर विमानन उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू), (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) भारत का पहला राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय परिसर नागर विमानन मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत फुरसतगंज एयरफील्ड में पूरी तरह से कार्यशील है।

(ग) और (घ) भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पहले से ही विमान पुर्जों और एयरोस्पेस विनिर्माण में मौजूद हैं। यह रिपोर्ट किया गया है कि बोइंग और एयरबस जैसे वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) संयुक्त रूप से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सालाना 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के विमान उपकरण प्राप्त कर रहे हैं।

*****